



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 8, 2012/ज्येष्ठ 18, 1934

No. 268]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 8, 2012/JYAISTHA 18, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2012

**सा.का.नि. 436(अ).**—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल समूह 'क' (साधारण ड्यूटी अधिकारी) भर्ती नियम, 2010 का और, संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल समूह 'क' (साधारण ड्यूटी अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमा सुरक्षा बल समूह 'क' (साधारण ड्यूटी अधिकारी) भर्ती नियम 2010 में,—

(क) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

7. **ज्येष्ठता.**— (1) ऐसे सभी अधिकारी जो उच्चतर रैंक धारण किए हुए हैं निम्नतर रैंक धारण करने वाले अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे ।

(2) किसी विशिष्ट रैंक में किसी पद पर नियुक्त आफिसरों की ज्येष्ठता उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन के आदेश के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

(3) उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समान रैंक धारण करने वाले आफिसरों में से परस्पर ज्येष्ठता निम्नानुसार होगी :-

(क) एक ही दिन में प्रोन्नत किए गए अधिकारी की ज्येष्ठता उसी क्रम में अवधारित होगी जिसमें उन्हें उक्त रैंक में प्रोन्नति के लिए चयन किया गया है ;

(ख) सीधे प्रविष्टि अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता सम्मिलित योग्यता सूची के क्रम में कमबद्ध की जाएगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा और सीमा सुरक्षा बल संस्थान द्वारा आयोजित बुनियादी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में उनके द्वारा अभिप्राप्त अंकों को एक साथ जोड़ने के पश्चात् 50 : 50 के अनुपात में अवधारित की जाएगी ।

परन्तु सीधी प्रविष्टि अधिकारियों के मामले में नियुक्ति प्रस्ताव में उल्लिखित स्थान पर कार्य ग्रहण करने की तारीख नियुक्ति की तारीख होगी ।

परन्तु यदि दो या दो से अधिक अधिकारियों ने अंतिम पूर्ण योग समान अंक प्राप्त किए हैं तो उनकी योग्यता क्रम उनके जन्म की तारीख के अनुसार होगा ।

(ग) चयन के पश्चात् प्रशिक्षण के लिए विलम्ब से रिपोर्ट करने के मामले में ज्येष्ठता :

- (i) मंत्रालय या विभाग द्वारा जारी किया गया नियुक्ति प्रस्ताव, नियुक्ति के प्रस्ताव में उल्लिखित कार्य ग्रहण करने की तारीख से चार सप्ताह के लिए विधिमान्य होगा और उसके पश्चात् नियुक्ति पत्र स्वतः व्यपगत हो जाएगा ।
- (ii) यदि, चार सप्ताह की विनिर्दिष्ट अवधि में अभ्यर्थी से समय विस्तार का अनुरोध प्राप्त हो जाता है और मंत्रालय द्वारा सम्यक विचार करने के बाद यदि तथ्य एवं परिस्थितियां ऐसा करना आवश्यक मानती है तो चार सप्ताह के अतिरिक्त अधिकतम दो सप्ताह का समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है । जो अभ्यर्थी छह सप्ताह की अवधि में कार्यभार ग्रहण करता है उसकी ज्येष्ठता उप नियम (3) (ख) के अनुसार अवधारित की जाएगी ।
- (iii) यदि मंत्रालय द्वारा समय विस्तार, यदि कोई हो, प्रदान किए जाने के पश्चात् कोई उम्मीदवार नियत समय (जो छह सप्ताह से अधिक नहीं होगा।) के भीतर रिपोर्ट नहीं करता तो यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः व्यपगत हो जाएगा ।
- (iv) ऐसा नियुक्ति आदेश जो व्यपगत हो गया है, साधारणतया असाधारण परिस्थितियों और जनहित के आधारों को छोड़कर पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही पुनर्जीवित किया जा सकता है ।
- (v) ऐसे मामले में जहाँ प्रस्ताव समाप्त हो जाने के बाद इसे उपरोक्त उप पैरा (iv) में यथा उल्लिखित मंत्रालय के अनुमोदन से पुनर्जीवित किया जाता है, संबंधित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता अगली चयन परीक्षा के अभ्यर्थियों से ऊपर तय की जाएगी। लेकिन यदि अगले चयन के कुछ या सभी अभ्यर्थियों ने कार्य ग्रहण कर लिया है तो उसे सबसे नीचे रखा जाएगा ।
- (vi) भारतीय पुलिस सेवा, सेना और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता उस रैंक में निरन्तर सेवा की तारीख के अनुसार अवधारित की जाएगी,

परन्तु, जहाँ ज्येष्ठता का पहले ही निर्धारण कर के इसे तय किया जा चुका है, वह प्रभावित नहीं होगा ।

(घ) सहायक कमाण्डेंट(सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) की परस्पर ज्येष्ठता सम्मिलित योग्यता सूची के क्रम में व्यवस्थित की जाएगी जिसका अवधारण उनके द्वारा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा और सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण संस्थान में बुनियादी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्राप्त अंकों को 50 : 50 के अनुपात में जोड़कर किया जायेगा ।

